रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
सत्यमेव जयते
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-22102021-230613
SG-DL-E-22102021-230613

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 309]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 21, 2021/आश्विन 29, 1943	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 223
No. 309]	DELHI, THURSDAY, OCTOBER 21, 2021/ASVINA 29, 1943	[N. C. T. D. No. 223

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 13 अक्तूबर, 2021

फा.सं. 3(450)/2017/आयुष/एचडब्ल्यू/स्था0/348.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 24.9.1968 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 2478/68—डीएच (एस) के साथ पठित संविधान के अनुछेद 309 के परन्तुत द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 18 मार्च 2016 की अधिसूचना सं0 2/201/2002/डीआईएसएमएच/होम्यो/826 के अनुक्रम में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल संघ लोक सेवा आयोग के साथ पूर्व परामर्श के पश्चात दिल्ली स्वास्थ्य सेवा सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी (होम्योपैथी) नियमावली, 2016 में आगे संशोधन के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1 संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ —

(1) इन नियमों को दिल्ली स्वास्थ्य सेवा सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी (होम्योपैथी) (संशोधन) नियमावली, 2021 कहा जाएगा ।

(2) ये शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे ।

2. **दिल्ली स्वास्थ्य सेवा सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी (होम्योपैथी) नियमावली, 2016, में नियम 7 के उप नियम (2) के पश्चात निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाये, अर्थात् :–**

''(3) दिनांक 18.12.2006 को या उससे पूर्व नियुक्त संविदात्मक सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी (होम्योपैथी), जो इन संशोधित नियमों की अधिसूचना की तिथि पर संविदा आधार पर सेवा प्रदान करना जारी रखते हैं, उनका मूल्यांकन संघ लोक सेवा आयोग द्वारा उनकी उपयुक्तता और चिकित्सा अधिकारी (होम्योपैथी) के पद के लिए निर्धारित अपेक्षित योग्यता के आधार पर किया जाएगा, और यदि उपयुक्त पाया जाता है तो इन नियमों के अर्न्तगत उन्हें नियुक्त माना जाएगा और इन संशोधित नियमों की अधिसूचना की तिथि से प्रवेश स्तर पर सेवा के सदस्य होंगे ।''

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

बी. एस. जागलान, विशेष सचिव (स्वास्थ्य)

HEALTH AND FAMILY WELFARE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 13th October, 2021

F. No. 3(450)/2017/AYUSH/HW/ESTT /348.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India read with the Government of India, Ministry of Home Affairs O.M. No. 24/78/68-DH(S), dated 24/9/1968, in continuation of Notification No. 2/201/2002/DISMH/Homoeo/826 dated the 18th March, 2016 the Lt. Governor, National Capital Territory of Delhi, after prior consultation with Union Public Service Commission, hereby makes the following rules, further to amend the Delhi Health Services General Duty Medical Officer (Homoeopathy) Rules, 2016 namely calling: -

1. **Short Title and commencement –**

   (1) These rules may be called the Delhi Health Services General Duty Medical Officers (Homoeopathy) (Amendment) 2021.

   (2) They shall be come into force from the date of their publication in the official Gazette.

2. **In the Delhi Health Services General Duty Medical Officers (Homoeopathy) Rules, 2016, in rule 7, after sub rule (2), the following clause may be added, namely:-**

   "(3) The contractual General Duty Medical Officers (Homoeopathy) appointed on or before 18/12/2006, who continue to render the service on contractual basis on the date of notification of these amended rules, shall be assessed by the Union Public Service Commission on the basis of their suitability and requisite qualification prescribed for the post of Medical Officer (Homoeopathy) and if found fit, shall be deemed to have been appointed under these rules and shall be members of the service at the entry level from the date of notification of these amended rules."

By Order and in the Name of Lt. Governor of Delhi,

B.S. JAGLAN, Spl. Secy. (Health)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SURENDER MAHADASAM Digitally signed by SURENDER MAHADASAM Date: 2021.10.22 15:54:50 +05'30'